1/40007/2023

महत्वपूर्ण/मेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: cepwdua@gmail.com**

पत्रांक–2037/ 01 प्रा0याता0'क' /2023 दिनांक–30/10/2023

कार्यालय–ज्ञाप

सेतुओं के मानसून के बाद किये गये निरीक्षण की रेटिंग प्राप्त होने के उपरान्त की जाने वाली कार्यवाही हेतु मानक प्रचालन प्रकिया (SOP)

लोक निर्माण विभाग मे निर्मित सेतुओं के उचित रखरखाव हेतु सेतुओं का निरीक्षण IRC–SP: 18–1978 "Manual for highway Bridge Maintenance Inspection" तथा IRC–SP: 35–1990" Guidelines for Inspection and Maintenance of Bridges" में दिये गये निर्देशों के अनुरूप सेतुओं की लम्बाई के आधार पर अलग–2 स्तर के अभियन्ताओं द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर–1, रा0मा0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के परिपत्र संख्या–2324/29 रा0मा0–उ/02 दिनांक–21–03–2003 द्वारा जारी गाईड लाईन्स के अनुसार किया जाता है। सेतुओं के निरीक्षण से प्राप्त Obserations/Data का सम्यक रूप से विश्लेषण एवं रेटिंग हेतु इस कार्यालय के E-कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2942/2022 दिनांक–23.03.2022 द्वारा "Bridge Inspection Module" विकसित किया गया है। जिसमें IRC–SP: 52–1999" Bridge Inspection Reference manual में दिये गये Parameters के अनुसार Mobile Application के माध्यम से प्रत्येक Component की रेटिंग तथा Component की Weightage के आधार पर सेतुओं की Critical rating निकाली जाती है। Bridge Inspection Module" के अनुप्रयोग हेतु विस्तृत SOP भी इस कार्यालय द्वारा जारी की गई है। निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त Observations एवं Data के आधार पर सेतुओं की Online Bridge Module द्वारा प्राप्त Critical Rating के पश्चात उचित अभिलेखन, विश्लेषण एवं फील्ड स्तर पर वृहद रूप से निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार मानक प्रचालन प्रकिया (SOP) निर्धारित की जाती है:–

1–Online Bridge rating के उपरान्त प्राप्त समीक्षाओं का विश्लेषण समीक्षा करने वाले अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2–सेतुओं के वर्गीकरण हेतु निम्नानुसार 5 वर्गो में विभाजन की प्रकिया अपनाई जायेगी।

I. सेतु निरीक्षण के उपरान्त सही पाया गया किसी मरम्मत कार्य की आवश्यकता नहीं है।

II. सेतु में निरीक्षण के उपरान्त अल्प मरम्मत कार्य की आवश्यकता है जिसको वार्षिक सामान्य अनुरक्षण मद से किया जा सकता है।

III. सेतु में निरीक्षण के उपरान्त दीर्घ मरम्मत कार्य की आवश्यकता है जिस हेतु आगणन बनाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

Scanned with CamScanner

IV. सेतु में निरीक्षण के उपरान्त उच्च स्तरीय सेतु सेफ्टी आडिट अथवा थर्ड पार्टी जांच कराये जाने की आवश्यकता होगी।

V. सेतु के निरीक्षण के उपरान्त पूर्णत क्षतिग्रस्त पाया गया एवं यातायात आवागमन हेतु निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है।

3– सेतुओं का वर्गीकरण करते समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी का संज्ञान अवश्य लिया जायेगा।

4– सेतुओं के वर्गीकरण के उपरान्त आख्या संस्तुति सहित खण्डीय, वृत्तीय एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।

5– प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त सेतुओं की वर्गीकरण आख्या का संकलन, अभिलेखन एवं रखरखाव, सेतु डिजायन एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

6– प्रत्येक वर्ष माह जनवरी के द्वितीय मंगलवार को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में इस हेतु बैठक की जायेगी, जिसमें प्राप्त समीक्षाओं एवं आख्याओं का विधिवत विश्लेषण एवं विचार विमर्श करते हुए सेतुओं के वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया जायेगा।

7– यह अंतिम वर्गीकरण सूचना माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में निम्नानुसार प्रारूप पर संकलित कर विभागीय पोर्टल पर सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

क0स0	सेतु का आई0 डी0	सेतु का नाम	सेतु का वर्गीकरण
1	2	3	4

8– इस आख्या के अनुरूप अनुरक्षण मद एवं अन्य योजनाओं में आवश्यकतानुसार तर्क संगत प्राविधान किया जायेगा।

9– इस आख्या के अनुरूप खण्डीय स्तर पर चालू वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष में सेतुओं पर किये जाने वाले अल्प अवधि, मध्य अवधि, दीर्घ कालीन कार्यों एवं तृतीय पक्ष जांच हेतु कार्य योजना बनायी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार तर्कसंगत आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा।

10– कार्य योजना के अनुरूप खण्डीय कार्यालयों द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार सेतुओं के मरम्मत एवं उपचार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी ढंग से आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

23

11– वर्षा ऋतु से पूर्व किये जाने वाले सेतुओं के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्व निरीक्षण में प्रस्तावित कार्यो एवं उपायों तथा कार्ययोजना पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए इस पर टिप्पणी किया जाना आवश्यक होगा।

12– यदि किसी सेतु के निरीक्षण के पश्चात तत्काल कार्य कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो ऐसे प्रकरणों को अविलम्ब प्रमुख अभियन्ता के संज्ञान में लाते हुए उपचार हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, एवं फरवरी माह में प्रसारित वर्गीकरण आख्या में इसका समावेश कर लिया जायेगा।

अतः सेतुओं के निरीक्षण, वर्गीकरण, मरम्मत एवं उपचार सम्बन्धी उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by Deepak Kumar Yadav
Date: 19-10-2023 13:18:03

(इं0 दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता, (नियोजन)विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

2– समस्त मुख्य अभियन्ता, सिविल/राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग,.....उत्तराखण्ड।

3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता,.....वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग,..... उत्तराखण्ड।

4–समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग.....उत्तराखण्ड।

5– समस्त वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर विभागध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

6–समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

7–अधिशासी अभियन्ता, डिजाईन सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Scanned with CamScanner